लक्ष्मण सिंह **बनाम** सन्ता सिंह आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 44 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/385

नम्बर एवं ...मिल जो इस आ...हुकम पालना में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.12.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 47/46 के मुरब्बा नम्बर 35, 39/16 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में से सन्ता सिंह के नाम दर्ज 3.161 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति है और स्वर्ण जाति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर किसी प्रकार से काश्त या कब्जा का कानूनन हक नहीं है। उक्त आराजी का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया है, जो प्रारम्भतः शुन्य एंव अवैध है। इसलिए धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। इसलिए हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 47/46 के मुरब्बा नम्बर 35, 39/16 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में से सन्ता सिंह के नाम दर्ज 3.161 हैक्टेयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	